यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी के माह 01/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुसी राम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.01.2018 से 01.02.2018 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सन्तोष कुमार गुप्ता एवं श्री भानू प्रताप सिंह सहयाक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा विजय कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षाक द्वारा दिनांक 31.01.2017 से 03.02.2017 तक संपादित किया गया था। जिसमें माह 03/2014 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(अ) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप ब्लॉक में आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं तथा प्रसव की सेवायें निशुल्क दी जाती हैं।

(ब) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त 0.4 हैक्टेयर हैः

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	444.92	388.50	--	--	--	56.42
2015-16	--	--	470.53	436.29	--	--	--	34.24
2016-17	--	--	592.85	502.89	--	--	--	89.96
2017-18 (up to Dec. 2017	--	--	641.81	509.97	--	--	--	131.84

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत/समर्पण (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महा निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी 5. समस्त उप केन्द्र

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो- (ब)

प्रस्तर 01 : दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये **5.85** लाख की सहायता राशि का भुगतान विलम्ब से किया जाना तथा धनराशि रूपये 1.69 लाख का अनियमित भुगतान।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना को एक महत्वपूर्ण अंतक्षेप के रूप में समाविष्ट किया गया था जिससे महिलाओं की पहुँच संस्थागत प्रसवों तक हो सके एवं जिसके प्रभाव से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। जे॰ एस॰ वाई॰ का उद्देश्य सभी महिलाओं को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा जारी जननी सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी को भुगतान प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी दिशा- निर्देशों में प्रावधान किया गया कि सहायता राशि का भुगतान केवल माता को ही किया जाए, उसके किसी सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाये।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लाभार्थी महिलाओं को धनराशि रूपये 6,97,759.00 भुगतान के सापेक्ष धनराशि रुपए 5,85,200.00 का भुगतान प्रसव के 02 से 96 दिन की देरी से किया गया था जबकि लाभार्थियों को भुगतान अस्पताल से डिस्चार्ज होने के समय ही किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त दिशा- निर्देशों के अनुसार सहायता राशि का भुगतान केवल माता को ही किया जाना था, लेकिन कार्यालय के द्वारा उसके सगे सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्ति को किया जा रहा था। जिसका विवरण निमन्वत था।

क्र॰ सं॰	वर्ष	कुल लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गयी संबंधियों की संख्या	संबंधियों को भुगतान की गयी कुल धनराशि
1	2016-17 (जनवरी 17 से मार्च 2017 तक)	96	43	60,200.00
2	2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	419	78	1,09,200.00
कुल योग		**515**	**121**	**1,69,400.00**

उक्त से स्पष्ट था की विभाग द्वारा दिशा- निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू॰ 5.85 लाख की सहायता राशि का अनियमित व्यय किया गया तथा धनराशि रूपये 1.69 लाख का भुगतान अनियमित रूप से लाभार्थियों के सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्तियों को किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा विलम्ब से भुगतान करने के सम्बंध में अवगत कराया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा एवं समयानुसर भुगतान किया जाएगा। लाभार्थियों के सगे संबंधियों को भुगतान करने के सम्बंध में अवगत कराया कि लाभार्थियों के अस्पताल से जाने के पश्चात इस लिए किया गया क्योंकि लाभार्थी वापस आने की स्थिति में नहीं थे।

कार्यालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी को प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक किया जाना था तथा सहायता राशि का भुगतान केवल माता को ही किया जाना था, उसके किसी सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाना था लेकिन कार्यालय के द्वारा दिशा- निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू॰ 5.85 लाख की सहायता राशि का अनियमित व्यय किया गया तथा धनराशि रूपये 1.69 लाख का भुगतान अनियमित रूप से लाभार्थियों के सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्तियों को किया गया।

अतः दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये 5.85 लाख की सहायता राशि का भुगतान विलम्ब से किया जाना तथा धनराशि रूपये 1.69 लाख को अनियमित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो- (ब)

प्रस्तर 02 : ₹ 2.66 लाख मूल्य की औषधियों की नियमानुसार गुणवत्ता जाँच नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1284/xxviii-5 2008-24/2003 चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के बिन्दु 11 'क' के अनुसार उत्तराखंड राज्य मे राजकीय चिकत्सालयों/औषधालयों के लिए एक बार मे क्रय की गयी विभिन्न औषधियों मे से 20 प्रतिशत दवाओ के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओ से विश्लेषण कराया जाए ताकि दवाइयो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधियों के नमूनो की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मो के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

जिला चिकित्सालय बौराड़ी, टिहरी के औषधियो के अभिलेखो की जांच मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि चिकित्सालय द्वारा 01/2017 से 12/2017 तक की अवधि में रु 2.66 लाख की औषधियाँ क्रय की गयी। क्रय की गयी औषधियों के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन चिकित्सालय के द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये औषधियों के परीक्षण नहीं कराये गए। जो कि शासनादेश के प्रावधानों मे वर्णित नियमो का उल्लंघन था ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा जिला चिकित्सालय के द्वारा औषधियों का क्रय करने के पश्चात 20 प्रतिशत नमूने लेकर उनका विश्लेषण नहीं कराया गया। विश्लेषण नहीं कराये जाने के सम्बंध में अवगत कराया गया कि औषधियों की आकस्मिकता के कारण नहीं कराया गया भविष्य में विश्लेषण कराये जाने का ध्यान रखा जायेगा।

कार्यालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार औषधियों की गुणवत्ता ख्याति प्राप्त फर्म से करायी जानी थी लेकिन चिकित्सालय के द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये रु 2.66 लाख की औषधियों का क्रय करने के पश्चात 20 प्रतिशत नमूने लेकर अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से उनका विश्लेषण नहीं कराया गया।

अतः 2.66 लाख मूल्य की औषधियों की नियमानुसार गुणवत्ता जाँच नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-01: त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 953/XXVIII-5-2016-54/2015 दिनांक 28 सितम्बर 2016 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल मे स्थापित ए॰एन॰एम॰ प्रशिक्षण केन्द्र व नर्सिंग कालेज की जिला चिकित्सालय टिहरी गडवाल से सम्बधता हेतु उक्त चिकित्सालय मे 100 शप्याओं के रूप मे उच्चीकृत किया गया था। जिला चिकित्सालय के उच्चीकृत होने पर चिकित्सको के 25 पद तथा पैरामेडिकल स्टाफ के 65 पद की आवश्यकता थी।

ज़िला चिकित्सालय टिहरी के मानव संसाधन प्रबंधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे (जनवरी 2018) यह तथ्य प्रकाश मे आया कि चिकित्सको के स्वीकृत 25 पद के सापेक्ष 20 पद भरे हुए थे तथा 05 पद रिक्त थे। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के 67 पद के सापेक्ष मात्रा 22 पदो पर स्टाफ तैनात था 45 पद रिक्त थे।

रिक्त पदो का विवरण निमन्वत था-

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01	00	01
फिजीशियन	02	01	01
कार्डियोलोजिस्ट	01	00	01
स्त्री रोग विशेषग	01	00	01
बाल रोग विशेषग	02	01	01
सिस्टर	04	01	03
उपचारिका	43	12	31
फार्मेसिस्ट	03	02	01
डेंटल हैजेनिस्ट	01	00	01
रेडिओग्राफर	01	00	01
लैब टेकनीशियन	03	01	02
ई॰सी॰जी॰ टैकनीशियन	01	00	01
ओ॰टी॰टैकनीशियन	03	00	03
मेडिकल अटेंडेंट	01	00	01
नर्सिंग असिस्टेंट	01	00	01
	68	18	50

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सको एवं पैरामेडिकल स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे, ऊपर दिये हुए 68 पदो के सापेक्ष 50 पद रिक्त थे। इस प्रकार जिला चिकित्सालय मे

चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कुल स्वीकृत पद 92 के सापेक्ष मात्रा 42 पद पर स्टाफ की तैनाती की गयी थी। उक्त पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा यह अवगत कराया गया कि चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ की स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यकता है लेकिन शासन स्तर से उक्त पदों पर भर्ती नहीं की गयी। उक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण आम जनता को शल्य चिकित्सा संबन्धित सुविधायें प्राप्त न होने के कारण आम जनता प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था ।

विभाग का उत्तर स्वयं लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है जिला चिकित्सालय में स्टाफ की भरी कमी थी तथा पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई हो रही थी तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

अतः त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-02: अवास्तविक बजट की मांग व रूपये **89,96,269.00** की राशि का वर्षांत समर्पण किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोपरान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा वित्तीय नियम 56 (1) एवं (2) के अनुसार धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र विकास कार्यों मे उसका उपयोग हो सके।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी के लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 89,96,269.00 की धनराशि वर्ष के अंत मे समर्पित किया गया था ।

वर्ष 2016-17			
लेखाशीर्ष	आवंटन	व्यय	समर्पित राशि
2210 110 00 01 11	2194503.00	1986166.00	208337.00
2210 101 00 06 05	5067200.00	4127458.00	939742.00
2210 110 00 01 03	52023286.00	44175096.00	7848190.00
कुल योग	**59284989.00**	**50288720.00**	**8996269.00**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की गयी थी तथा वर्ष के अंत मे शेष धनराशि समर्पित किए जाने के कारण उक्त राशी का अन्यत्र उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया गया कि बजट की मांग आवश्यकतानुसार की गयी थी कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण समय पर बजट का समर्पण नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कर्मचारियों के स्थानांतरण के समय ही बजट का समर्पण कर दिया जाना चाहिए था, विभाग द्वारा अवास्तविक बजट की मांग की गयी व रू 8996269.00 की राशि का वर्षांत समर्पण किया गया। अतः धनराशि रू.89.96 लाख का वर्षांत समर्पण किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
IC/S/163/2006-07	शून्य	1,2,3,4,5,6,7	शून्य
IC/S/163/2008-09	शून्य	1,2,3	शून्य
202/2013-14	शून्य	1,2,3	शून्य
145/2016-17	शून्य	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ0 सी0पी0 त्रिपाठी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	28/12/16 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.